

गोपनीय

विशेष शाखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।

क्रमांक-विशा/4/एच0ए0/2018-14/-(1184) दिनांक 24 .08. 2018
प्रति,

1. उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर) इन्दौर एवं भोपाल।
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, म0प्र0।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल)


विषय :- मॉब लिंगिंग/ की घटनाओं अथवा भीड़ द्वारा अन्य कारणों से दुष्प्रेरित होकर की जाने वाली हिंसात्मक घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने बावत्।

संदर्भ :- इस कार्यालय से जारी पत्र क्रं-विशा/4/एच.ए./2018-14/-(1048) दिनांक 25/07/2018

---000---

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से मॉब लिंगिंग की घटनाओं अथवा भीड़ द्वारा अन्य कारणों से दुष्प्रेरित होकर की जाने वाली हिंसात्मक घटनाओं की रोकथाम हेतु पारित निर्णय दिनांक 17.07.2018 की कंडिका क्रमांक- 40 के बिन्दु (i, iv) पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु जिले में नोडल ऑफिसर द्वारा किये जाने वाले कार्यों की नियमित समीक्षा (माह में कम से कम एक बार) जिले के संबंधित थाना प्रभारियों के साथ की जाना है।

अतः इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।



पुलिस महानिरीक्षक,

गुप्तवार्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल।

क्रमांक-विशा/4/एच0ए0/2018-14/-(1184-A) दिनांक 24 .08. 2018

प्रतिलिपि :- 1. अमनि/पुमनि इंदौर जोन इंदौर एवं समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश ।

3. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।


पुलिस महानिरीक्षक,
गुप्तवार्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल।